मूल हिन्दी

भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

राज्य सभा

तारांकित प्रश्न सं. 178*

17 मार्च, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

स्वच्छ भारत मिशन-शहरी 2.0 के अंतर्गत शहरी क्षेत्रों की स्थिति

178 # श्री नीरज डांगीः

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) स्वच्छ भारत मिशन-शहरी 2.0 का ब्यौरा क्या है;

(ख) इस योजना के कार्यान्वयन के लिए प्रयुक्त प्रौद्योगिकी का ब्यौरा क्या है;

(ग) स्वच्छ भारत मिशन-शहरी 2.0 के अंतर्गत सरकार द्वारा शहरी क्षेत्रों में खुले में शौच में प्रति वर्ष दर्ज की गई औसतन गिरावट का ब्यौरा क्या है;

(घ) सरकार द्वारा खुले में शौच से मुक्ति की स्थिति कब तक प्राप्त कर ली जाएगी?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य मंत्री

(श्री मनोहर लाल)

(क) से (घ): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

"स्वच्छ भारत मिशन - शहरी 2.0 के अंतर्गत शहरी क्षेत्रों की स्थिति" के संबंध में दिनांक 17.03.2025 के राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या 178 के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) : स्वच्छ भारत मिशन-शहरी के तहत की गई प्रगति को आगे बढ़ाने के लिए, सुरक्षित स्वच्छता, नगरपालिका ठोस अपशिष्ट (एमएसडब्ल्यू) के सभी अंशों का वैज्ञानिक प्रबंधन और पुराने डंपसाइटों का सुधार करने के उद्देश्य से स्वच्छ भारत मिशन-शहरी 2.0 को 1 अक्टूबर, 2021 को शुरू किया गया है। एसबीएम-यू 2.0 में सभी प्रकार के नगरपालिका ठोस अपशिष्ट की प्रभावी आयोजना पर जोर दिया गया है, जिसमें अपशिष्ट से ऊर्जा, निर्माण और विध्वंस (सीएंडडी) अपशिष्ट प्रसंस्करण आदि जैसी परियोजनाएं शामिल हैं। प्रयुक्त जल प्रबंधन भी एसबीएम-यू 2.0 के तहत एक नया घटक है, जिसका उद्देश्य 2011 की जनगणना के अनुसार 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों में मल-कीचड़ और सेप्टेज का समग्र निपटान करना है।

(ख): स्वच्छ भारत मिशन शहरी भारत में प्रौद्योगिकी का उपयोग करके स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन को बढ़ावा देता है। इन शोधन प्रौद्योगिकियों का चयन शहरी स्थानीय निकायों/राज्य सरकारों को करना है, जिससे उन्हें केंद्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य और पर्यावरण इंजीनियरिंग संगठन (सीपीएचईईओ) मैनुअल और समय-समय पर जारी की गई एडवाइजरी में उल्लिखित किसी भी प्रामाणिक प्रौद्योगिकी को चुनने की अनुमति मिलती है। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के खंड 15 (v) के अनुसार, शहरी स्थानीय निकाय नगरपालिका ठोस अपशिष्ट के प्रबंधन के लिए निम्नलिखित प्रौद्योगिकियों सहित उपयुक्त प्रौद्योगिकियों को अपना सकते हैं:

क) जैव-मीथेनेशन, सूक्ष्मजीवी खाद, कृमि-खाद, अवायवीय पाचन या जैवनिम्नकरणीय अपशिष्टों के जैव-स्थिरीकरण के लिए कोई अन्य उपयुक्त प्रसंस्करण;

ख) अपशिष्ट से ऊर्जा बनाने की प्रक्रिया, जिसमें अपशिष्ट के दहनशील अंश के लिए रिफ्यूज्ड डिराइव्ड फ्यूल या ठोस अपशिष्ट आधारित बिजली संयंत्रों या सीमेंट भट्टों को फीडस्टॉक के रूप में आपूर्ति शामिल है

इसके अलावा, अपशिष्ट प्रबंधन क्षेत्र में विकास स्टार्टअप और उद्यमियों के लिए अनुकूल माहौल को बढ़ावा देने के लिए, उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) के सहयोग से, चुनौती मोड के माध्यम से स्टार्टअप की पहचान की जाती है। इन शॉर्टलिस्ट किए गए संगठनों को एक साल की इनक्यूबेशन सहायता प्रदान करने के लिए आईआईटी कानपुर के स्टार्टअप इनक्यूबेशन एंड इनोवेशन सेंटर (एसआईआईसी) में एक केंद्र स्थापित किया गया है।

(ग) और (घ) : स्वच्छ भारत मिशन – शहरी (एसबीएम – यू) 2 अक्टूबर, 2014 को शुरू किया गया था, जिसका प्रमुख उद्देश्य शहरी क्षेत्रों को खुले में शौच से मुक्त (ओडीएफ) बनाना था, अक्टूबर, 2019 में 35 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के 4,371 शहरी स्थानीय निकाय खुले में शौच से मुक्त हो गये। यह उद्देश्य 63.74 लाख व्यक्तिगत घरेलू शौचालय (आईएचएचएल) इकाइयों के निर्माण के साथ हासिल किया गया है, जो कि 58.99 लाख के मिशन लक्ष्य से अधिक (108.05%) हैं और 5.07 लाख के मिशन लक्ष्य की तुलना में 6.36 लाख सामुदायिक शौचालय/सार्वजनिक शौचालय (सीटी/पीटी) सीटों (125.44%) का निर्माण किया गया है।

वर्ष 2019 में वन-टाइम सेचुरेशन के बाद, राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों से कहा गया है कि वे बुनियादी स्वच्छता निरंतर बनाए रखें। बढ़ते शहरीकरण, प्रवास और नए शहरी स्थानीय निकायों के गठन के कारण शहरी क्षेत्रों में आईएचएचएल/सीटी/पीटी के निर्माण के लिए राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों की अतिरिक्त मांगों को पूरा करने के लिए, एसबीएम-यू (2021-2026) के तहत शौचालयों के निर्माण के लिए 1177.22 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। वर्तमान में, 4,889 शहरों/शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) को खुले में शौच से मुक्त (ओडीएफ) घोषित किया गया है।

*****